रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4*
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2001/आश्विन 2, 1923
No. 252] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2001/ASVINA 2, 1923

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2001

सं. एल-7/25(1)/2001.—सी.ई.आर.सी.-विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं अन्य प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एतद्द्वारा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन 2001 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

1. विषय

इन विनियमों के केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) (प्रथम संशोधन) विनियम 2001 कहा जायेगा।

2. प्रारम्भ

यह विनियम 29 मई 2001 से प्रभावी माने जायेंगे तथा 31-3-2004 तक प्रभावी रहेंगे, बशर्ते कि इनकी इससे पहले समीक्षा न की जाए अथवा आयोग द्वारा इनका समय न बढ़ाया जाए।

3. नियम 4.4 की धारा (ध) में उपबंध का जोड़ा जाना

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन 2001 में, विनियमन 4.4 के अन्त में धारा (ध), अध्याय 4, में निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जायेगा :—

बशर्ते उन ट्रांसमिशन परियोजनाओं के मामले में जिनका क्रियान्वयन आई.पी.टी.सी./जे.वी. मार्गों द्वारा किया गया है, के चालू होने के प्रथम वर्ष में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की वास्तविक पूंजी लागत का 1.5% (डेढ़ प्रतिशत) ओ एण्ड एम व्यय के रूप में दिया जाएगा और बाद के वर्षों में इसमें उपरोक्त धारा (च) में दिए गए फार्मुले के अनुसार वृद्धि की जाएगी।

4. विनियम 4.10 में संशोधन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन 2001 के नियम 4.10 के अध्याय 4 में जहां-जहां ''ट्रांसमिशन युटिलिटि'' शब्दों का प्रयोग हुआ है उनको ''पॉवर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड'' द्वारा संस्थापित किया जाए।

5. नया विनियम 4.10 (ए) का प्रतिस्थापन

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं निबंधन) विनियमन 2001 में अध्याय 4 में विनियम 4.10 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

4.10 (ए) ट्रांसमिशन मेजोरेशन फैक्टर

उन ट्रांसमिशन परियोजनाओं जिनका क्रियान्वयन आई.पी.टी.सी./जे.वी. मार्गों द्वारा हुआ है के मामलों में, ट्रांसमिशन व्यय पर 10% (दस प्रतिशत) मार्क-अप (टैक्स पूर्व) ट्रांसमिशन मेजोरेशन फैक्टर स्वीकार्य होगा। बशर्ते एच.वी.डी.सी. परियोजनाओं जिनका क्रियान्वयन आई.पी.टी.सी./जे.वी. मार्गों द्वारा हुआ हो पर ट्रांसमिशन मेजोरेशन फैक्टर स्वीकृत नहीं होगा।

बशर्ते ट्रांसमिशन क्षेत्र में आई.पी.टी.सी./जे.वी. मार्गों द्वारा 31-3-2004 तक नए प्रवेश करने वाले निवेशकों और जिन्हें भारतीय विद्युत एक्ट 1910 के भाग 27(सी) के अन्तर्गत 31-3-2004 तक ट्रांसमिशन लाइसेंस दिया गया हो को ट्रांसमिशन मेजोरेशन फैक्टर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की पूरी अवधि के लिए स्वीकृत होगा।

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/150/2001]

के.वेणुगोपाल, सचिव

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2001

No. L-7/25(1)/2001-CERC—In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 Act and all other powers enabling in this behalf, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Tariff) regulations, 2001, namely :—

1. Title

These regulations shall be called Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Tariff) (First Amendment) Regulations 2001.

2. Commencement

These regulations shall be deemed to have come into force w.e.f. 29th May, 2001 and shall remain in force upto 31-3-2004, unless reviewed earlier or extended by the Commission.

3. Insertion of proviso to clause (d) of Regulation 4.4

In Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Tariff) Regulations, 2001, the following proviso shall be inserted at the end of clause (d) of Regulation 4.4 in chapter 4, namely :-

Provided that in case of transmission projects executed through IPTC/JV routes, 1.5% (one and a half percent) of the actual capital cost of the transmission project shall be allowed as O&M expenses during the first year of operation and these shall be escalated in subsequent years in accordance with the formula specified in clause (d) above.

4. Amendment of Regulation 4.10

In the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Tariff) regulations, 2001 in Regulation 4.10 in Chapter 4 for the words "Transmission Utility" wherever occurring, the words "Powergrid Corporation of India Limited" shall be substituted.

5. Insertion of new Regulation 4.10A

In the Central Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions of Tariff) Regulation, 2001, after regulation 4.10 in Chapter 4, the following shall be inserted, namely :—

4.10A Transmission Majoration Factor

In respect of the transmission projects executed though IPTC/JV routes, 10% (ten percent) mark up (pre-tax) on transmission charges shall be allowed as Transmission Majoration Factor.

Provided that Transmission Majoration Factor shall not be allowed on HVDC projects executed through IPTC/JV routes.

Provided further that the Transmission Majoration Factor shall be allowed during the entire life of the transmission project to the new investor entering the transmission sector through IPTC/JV routes and who has been granted a transmission licence under Section 27C of the Indian Electricity Act, 1910, up to 31-3-2004.

[No. Advt.-3/4/Exty./150/2001]

K. VENUGOPAL, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054